

क्रमांक: 879
दिनांक: 01/7/15

प्रेषक: वन मण्डल अधिकारी
अम्बाला ।

सेवा में: वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
हरियाणा, पंचकूला ।

विषय: Diversion of 0.128 Ha. of forest land for Work of Strengthening & raising of NH-72 Ambala-Kala Amb Road Km. 26.850 to 34.850 between Shahzadpur and Naraingarh in Haryana State.

Executive Engineer, Construction Division (NH), PWD B&R BR. Panchkula द्वारा for Work of Strengthening & raising of NH-72 Ambala-Kala Amb Road Km. 26.850 to 34.850 between Shahzadpur and Naraingarh in Haryana State में निर्माण किया जाना है। इस केस में अम्बाला जिले का 0.128 है० वन क्षेत्र प्रभावित होगा। इसमें 18 वृक्ष कटवाए जाएंगे तथा 7 पौधे नष्ट होंगे।

प्रस्ताव में यूजर एजेंन्सी से भूमि की नैट प्रेजेंट राशि 113536/-रु०, प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि 139110/-रुपये व सुपरवाइजरी चार्जिज व अन्य फैलिंग चार्जिज की राशि 5864/-रु० इस प्रकार कुल राशि 258510/-रु० वसूल किए जाएंगे। इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण हमीदपुर आर०एफ० में करवाया जाएगा।
संलग्न/उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला ।

पृ० क्रमांक:-

दिनांक:-

- एक प्रति निम्न को:-
1. Executive Engineer, Construction Division (NH), PWD B&R BR. Panchkula को सूचनार्थ प्रेषित है।
 2. वन राजिक अधिकारी, नारायणगढ़, को उनके पत्र क्र० 251 दि० 10.07.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला ।